भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2693
दिनांक 07.08.2024 को उत्तर देने के लिए

खनन क्षेत्र में निजी और विदेशी कंपनियां

†2693. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने खनन क्षेत्र में निजी और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इसके परिणामस्वरूप इससे कितना राजस्व सृजित/प्राप्त हुआ और कितनी सफलता प्राप्त हुई?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): दिनांक 15.10.2020 से प्रभावी एफडीआई नीति के अनुसार, हीरे, सोने, चांदी और कीमती अयस्कों सहित धातु और गैर-धातु अयस्कों के खनन और गवेषण के लिए 'स्वचालित' मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। टाइटेनियम युक्त खनिजों और उसके अयस्कों के खनन और पृथक्करण, उसके मूल्य संवर्धन और एकीकृत गतिविधियों के लिए, 'सरकारी' मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट "निर्धारित पदार्थों" के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी गई है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] को दिनांक 12.01.2015 से संशोधित करके खनिज रियायतें देने के लिए नीलामी व्यवस्था शुरू की गई। उक्त संशोधन का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता लाना तथा खनन क्षेत्र से राज्य सरकारों को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि करना था।

उसके बाद, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में दिनांक 28.03.2021 और दिनांक 17.08.2023 से संशोधन किया गया जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ खनिज उत्पादन में वृद्धि करना,

खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना, खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और खनिज संसाधनों की नीलामी की गति को बढ़ाना था। कुछ प्रमुख संशोधनों में खानों की नीलामी के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाना, गवेषण करने के लिए मान्यता प्राप्त निजी गवेषण एजेंसियों की अधिसूचना की अनुमति देना और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के तहत ऐसी एजेंसियों के वित्तपोषण को सक्षम करना, खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों को हटाना और महत्वपूर्ण एवं गहराई में स्थित खनिजों के गवेषण और उत्पादन को बढ़ाना शामिल था जो उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

(ग): केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप, 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से देश में कुल 395 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है जिन्हें निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों दोनों को आवंटित किया गया है। इनमें से 50 खानें पहले से ही उत्पादनरत हैं। इसके अलावा, गवेषण करने के उद्देश्य से 23 निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है।

जिन राज्यों में नीलाम की गई खानें चालू की गई हैं, वहां राज्य सरकारों को मिलने वाले राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। चालू नीलाम की गई खानों से राज्यों को नालामी प्रिमियम का वार्षिक संग्रहण लगभग 20,000 करोड रुपये है। यह राशि रॉयल्टी भुगतान और पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को दिए गए अंशदान के अतिरिक्त है।

*****